दिनाँकः फरवरी// 🔫 /2025

ग रोड कानपुर
नगर मो०न०
न०न० 26/70
गर मो०न०
WE ZE TO

जाँच का साराशं- आवेदक उपरोक्त द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों/आरोपों के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक फीलखाना कानपुर नगर से आख्या प्राप्त के अनुसार से पाया गया कि उक्त प्रकरण की जांच उ0नि0 रजनीश पाल थाना फीलखाना कानपुर नगर द्वारा की गयी है। प्राप्त आख्या के अवलोकन से पाया गया कि वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि भवन सं0 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर की पूर्व स्वामिनी स्व० दुर्गा देवी पत्नी स्व० लाला घूमीलाल बागला थी। जिनके द्वारा मृत्यु से पूर्व वसीयत कराई गयी जिसमें भवन के प्रथम खण्ड व तृतीय खण्ड को अपने पुत्र राधाकृष्ण बागला की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी व उसके पूत्रगण अनिल, अजय, राजदीप को दिया गया। इसी प्रकार भूमि खण्ड तथा द्वितीय खण्ड को अपने पुत्र श्रीकृष्ण बागला की धर्मपत्नी श्रीमती श्यामलता देवी व उनके पुत्र गण आलोक, महेन्द्र, मनोज को दिया गया है। इस प्रकार विवादित भाग में विक्रेता उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला अपने पति के 1/4 हिस्से की मालिक हुई वर्ष 2019 में श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा एक गिफ्ट डीड द्वारा अपना 1/4 भाग अपने पुत्र अजय बागला को कर दिया। दिनाक 01.02.2025 को उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला द्वारा हेमन्त बागला पुत्र महेन्द्र बागला को अपने हिस्से 1/4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की रजिस्ट्री करा दी गयी है। दोनों पक्ष वर्तमान समय में भवन सं0 26/70 में निवास नहीं कर रहे है। अनिल की पत्नी उमा वर्तमान समय ने अपनी पुत्री के पास गाजियाबाद में निवास कर रही है। आस पास जानकारी की गयी तो लगभग 10 वर्षों से उमा यहाँ निवास नहीं करती थी। परन्तु कभी कभी आती थी। तथा अजय बागला परिवारजनों से चाबी लेकर एक या दो दिन में चली जाती थी। परिवार की सम्पत्ति अविभाजित है। किसी का कोई बटवारा नहीं है। इस समय संबंध में अजय बागला द्वारा सिविल जज कानपुर नगर सीडी कानपुर नगर में बाद सं0 267/2025 अजय बागला आदि बनाम 1. उमा बागला 2. अर्चना बागला 3. हेमंत बागला दाखिल किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलगन रिपोर्ट की जा रही है। श्रीमान जी उपरोक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है दोनो पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है मौके पर विवादित कमरे पर दोनो पक्षों का ताला लगा दिया गया है दोनो पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने हेतु माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी गयी है। प्रार्थना पत्र पर अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

आरोप सिद्ध हो रहे है या नही	निल
पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण	उपरोक्त।
अन्य कोई तथ्य	निल।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली कमि0 कानपुर नगर।

